रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05112024-258442
CG-DL-W-05112024-258442

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्तूबर 27—नवम्बर 2, 2024, शनिवार/कार्तिक 5—कार्तिक 11, 1946
No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 27— NOVEMBER 2, 2024, SATURDAY/KARTIKA 5–KARTIKA 11, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

---

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

**सा.का.नि. 157.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2019 को, जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का

लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता. -** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम। | पद की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन या अचयन पद। |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी। | 25* (2024)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)। | लागू नहीं होता। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** |
|---|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं।<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। | **आवश्यक:**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या<br><br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या<br><br>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ या हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या<br><br>(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या<br><br>(v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों, के साथ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।<br>**अनुभव:**<br>हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्ययेन अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केंद्रीय या भारत सरकार के उपक्रमों सहित राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।<br><br>**टिप्पण 1.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br><br>**टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के | लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br><br>**टिप्पण.-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | | |

| **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|---|---|
| **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| सीधे भर्ती द्वारा।<br><br>**टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,-<br><br>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और<br><br>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। | लागू नहीं होता। | समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br><br>(1) अपर महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष;<br>(2) उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य;<br>(3) भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट होने वाले निदेशक (चक्रानुक्रम पर) -सदस्य;<br>(4) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. एसएम/02/19/2023]

अनुपमा, अवर सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

### (Department of Science and Technology)

New Delhi, the 29th October, 2024

**G.S.R. 157.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Survey of India (Junior Translator and Senior Translator ) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

**1. Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Junior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification. –** No person, –

(a) who has entered ino or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Junior Translation Officer. | 25* (2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400). | Not applicable. |

| **Age limits for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.** |
|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| Not exceeding thirty years of age.<br><br>(Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | **Essential:**<br>(i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or<br>(ii) Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or<br>(iii) Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or<br>(iv) Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or<br>(v) Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| | subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.<br>**Experience:**<br>Diploma certificate from recognised institution or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, including Government of India undertaking.<br>**Note 1.**- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2.**- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | |

| **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion by deputation/ absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|---|---|
| **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| Two years.<br><br>**Note.**- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government. | By direct recruitment.<br><br>**Note.**- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-<br><br>(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and<br><br>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under | Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-<br>1. Additional Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairman;<br>2. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office -Member;<br>3. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of India -Member;<br>4. Assistant Surveyor | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | column (7). | | General<br>-Member. | |

[F. No. SM/02/19/2023]

ANUPAMA, Under Secy.